संख्या-156/2026/आई/1424054/2026/23-7099/59/2026

प्रेषक,

अजय चौहान,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 **लखनऊ: दिनांक: 06 अगस्त, 2026**

विषय- पश्चिम एशिया में संघर्ष/युद्ध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम पदार्थों की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप सड़क निर्माण में प्रयोग होने वाले बिटुमिन की दरों में अत्यधिक वृद्धि के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1238नि0/कैबिनेट-नोट/2026,दिनांक 30.07.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पश्चिम एशिया में संघर्ष/युद्ध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम पदार्थों की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप सड़क निर्माण में प्रयोग होने वाले बिटुमिन की दरों में अत्यधिक वृद्धि के कारण मूल्य समायोजन किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-69/2026/544/23-7099/39/2026, दिनांक: 06 मई, 2026 द्वारा लागू की गयी व्यवस्था को दिनांक 30 सितम्बर, 2026 तक प्रभावी बनाये रखने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि बिटुमिन की दरों में अत्यधिक वृद्धि के आलोक में दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से 30 जून, 2026 तक किये गये कार्यों का मूल्य समायोजन किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-69/2026/544/23-7099/39/2026, दिनांक: 06 मई, 2026 द्वारा विस्तृत आदेश निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-NH-24028/03/2026-H, दिनांक 29.07.2026 द्वारा बिटुमिन की दरों में समायोजन की व्यवस्था को दिनांक 30 सितम्बर, 2026 तक बढ़ाये जाने का प्राविधान किया गया है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त सड़क निर्माण में प्रयोग होने वाले बिटुमिन की दरों में अत्यधिक वृद्धि के कारण शासनादेश दिनांक 06.05.2026 द्वारा प्राविधानित मूल्य समायोजन संबंधी व्यवस्था को दिनांक 30 सितम्बर, 2026 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तद्नुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अजय चौहान
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा.मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त आयुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- प्रमुख अभियन्ता (परि0/नियो0), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम,लि0/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, लि0 लखनऊ।
13- समस्त अनुभाग लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आशुतोष कुमार द्विवेदी
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।